

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

संस्थित दिनांक:-25/07/16

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद
जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. प्रमोद कोरी पुत्र विद्याराम कोरी उम्र-20 साल
निवासी-ग्राम बहादुरपुरा थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर
हाल कोरी मोहल्ला बड़ा बाजार गोहद जिला भिण्ड

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) ए आयुध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधि0 श्री आर0एस0त्रिवेदिया)

// निर्णय //

// आज दिनांक 05/09/2017 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 01.01.16 को 20:30 बजे नया घनश्यामपुरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.16 को पुलिस थाना गोहद के प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा मुखबिर की सूचना पर नया घनश्यामपुरा गोहद में मय फोर्स गये थे वहां शिवराम जाटव के मकान के सामने प्रमोद कोरी को पकड़ा था उसकी तलाशी ली थी तो उसके शर्ट की उपर की जेब में दो जिंदा कारतूस 315 बोर के रखे हुए मिले थे। आरोपी के पास कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने मौके पर ही आरोपी से कारतूस जप्त कर जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 02/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है

2 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दंडप्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है
5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 01.01.16 को 20:30 बजे नया घनश्यामपुरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी शिवकुमार आ0सा01, आरक्षक सुनील बौहरे आ0सा02, महेन्द्रसिंह आ0सा03, प्रधान आरक्षक राजवीर शर्मा आ0सा04, ए.एस.आई. हिम्मतसिंह भदौरिया आ0सा05, एवं साक्षी धर्मेन्द्र आ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र0-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा जोकि जप्तीकर्ता हैं, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 01.01.16 को जयें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति नया घनश्यामपुरा शिवकुमार जाटव के मकान के सामने अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर वह मय फोर्स तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां उसे एक व्यक्ति शिवकुमार के मकान के सामने खड़ा मिला था। उसने उस व्यक्ति की तलाशी ली थी तो उस व्यक्ति की शर्ट के उपरी जेब में 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड मिले थे। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम प्रमोद कोरी बताया था। आरोपी के पास कारतूस रखने बाबत लाइसेन्स नहीं था। उसने मौके पर ही आरोपी से राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर वह आरोपी को लेकर थाने आया था। थाने पर प्र0पी-6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 एवं ए-2 के कारतूस वही कारतूस हैं जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त किए थे।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे थाने पर शाम को 7 बजे सूचना मिली थी सूचना के करीब 10-15 मिनट बाद वह गया था उसके साथ सैनिक गंभीर एवं आरक्षक सुनील पाण्डे भी थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। वह नहीं बता सकता है कि जप्तशुदा कारतूस किस कंपनी के हैं। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि थाने पर वह 8:40 बजे वापिस आये थे तथा वापिसी उसने रोजनामचे पर डाली थी। वह नहीं बता सकता कि उसने रवानगी के दस्तावेज प्रकरण में क्यों नहीं लगाये हैं। आरोपी पुलिसवालों को देखकर भागा था। आरक्षक सुनील पाण्डे ने उसे दौडकर पकड़ा था। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पंचनामे में आरोपी को जिस स्थान से गिरफ्तार किया है उसका उल्लेख नहीं है एवं गिरफ्तारी का समय भी अंकित नहीं है।

9. साक्षी शिवकुमार आ0सा01 एवं धर्मेन्द्र आ0सा06 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। साक्षी

3 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

शिवकुमार अ0सा01 ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 के क्रमशः ए से ए भाग पर एवं साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा06 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 के क्रमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार किया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने आरोपी से 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड जप्त किए थे।

10. आरक्षक सुनील बौहरे अ0सा02 ने जप्तशुदा कारतूस की जांच रिपोर्ट प्र0पी-4 को प्रमाणित किया है। आर्म्स क्लर्क महेन्द्रसिंह अ0सा03 ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी-5 को प्रमाणित किया है एवं ए.एस.आई. हिम्मतसिंह भदौरिया अ0सा05 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी महेन्द्रसिंह अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 02.06.16 को आरक्षक उमाशंकर शर्मा द्वारा 02/16 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं जिला दंडाधिकारी श्री इलियाराजा टी द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 है जिसके ए से ए भाग पर जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर हैं उसने जिला दण्डाधिकारी श्री इलियाराजा टी के साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन कुछ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

13. इस प्रकार महेन्द्रसिंह अ0सा03 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पुलिस थाना गोहद द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित जिला दंडाधिकारी श्री इलियाराजा टी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री इलियाराजा टी ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

14. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर के दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्स मोहरर सुनील बौहरे अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 10.02.16 को पुलिस लाइन भिण्ड में थाना गोहद के 315 बोर के दो कारतूस की मैकेनिकल जांच की थी दोनों कारतूस 315 बोर के थे कारतूस से फायर हो सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

15. इस प्रकार आरक्षक सुनील बौहरे आ0सा02 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने जप्तशुदा कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर के कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

16. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त 315 बोर के दोनों कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ? उक्त संबंध में प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वह मय फोर्स तत्दीक हेतु नया घनश्यामपुरा शिवकुमार जाटव के मकान के सामने पहुंचा था एवं वहां उसने आरोपी से दो 315 बोर के जिंदा कारतूस जप्त किए थे। परन्तु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक को प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा नया घनश्यामपुरा गये थे अथवा नहीं। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि वह मय फोर्स सैनिक गंभीर एवं आरक्षक सुनील पाण्डे के साथ घटनास्थल पर गया था तथा आरोपी उन्हें देखकर भागा था जिसे आरक्षक सुनील पाण्डे ने दौड़कर पकड़ा था परन्तु उक्त संबंध में सैनिक गंभीर एवं आरक्षक सुनील पाण्डे को अभियोजन द्वारा प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी को घनश्यामपुरा शिवकुमार जाटव के मकान के सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाना बताया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 के कॉलम नंबर 8 में आरोपी की गिरफ्तारी का स्थान एवं समय अंकित नहीं है। उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। यह तथ्य भी जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देता है।

19. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह थाने पर 08:40 पर वापिस आ गये थे। परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 में जप्ती का समय 20:45 अर्थात् 08:45 एवं गिरफ्तारी पंचनामे के कॉलम नंबर 2 में गिरफ्तारी का समय 20:55 अर्थात् 08:55 अंकित है एवं प्र0पी-6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक 01.01.16 समय 22:35 अर्थात् 10:35 अंकित है। जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त पंचनामों के अनुसार आरोपी से जप्ती कार्यवाही रात्रि 8:45 बजे की गयी थी एवं आरोपी को 8:55 बजे गिरफ्तार किया गया था जबकि प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 का कहना है कि वह थाने पर 8:40 पर वापिस आ गये थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 के कथन जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 से विरोधाभासी रहे हैं उक्त तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि संपूर्ण कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।

20. प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी से घटना दिनांक को दो

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-700431/2016

कारतूस जप्त करना बताया है परन्तु उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा है कि जप्तशुदा कारतूस किस कंपनी के थे। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा कारतूस को मौके पर सीलबंद किए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त सभी तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

21. प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी से कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-1 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 तैयार करना बताया है परन्तु जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी शिवकुमार अ0सा01 एवं धर्मेन्द्र अ0सा06 द्वारा प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी शिवकुमार अ0सा01 एवं धर्मेन्द्र अ0सा06 द्वारा भी जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

22. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता प्र0आरक्षक राजवीर शर्मा अ0सा04 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं मना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01.01.16 को 20:30 बजे नया घनश्यामपुरा गोहद में आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी प्रमोद कोरी को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर के दो जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय भिण्ड की ओर भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,
दिनांक:-05.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)